International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान के पर्यटन विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

डॉ. आशुतोष मीना
सहायक प्रोफेसर (लोकप्रशासन)
राजकीय महाविद्यालय आबूरोड़ (सिरोही)

सारांश

पर्यटन भारतीय संस्कृति व परंपरा का अभिन्न अंग है। पर्यटन उद्योग बहुस्तरीय व बहुआयामी क्षेत्र है। यह देश का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। पर्यटन उद्योग का जीडीपी, विदेशी विनिमय, एफडीआई व रोजगार सृजन में विशेष योगदान है। पर्यटन एक सेवा क्षेत्र है जिसकी देश के आर्थिक विकास में केन्द्रीय भूमिका है। राजस्थान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। राजस्थान जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के रेगिस्तान, किले, महल, कला और संस्कृति के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान की यात्रा करता है क्योंकि यह भारत आने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है। राज्य के घरेलू उत्पाद में पर्यटन का आठ प्रतिशत हिस्सा है। वर्तमान समय में कई पुराने और उपेक्षित महलों और किलों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित कर दिया गया है। यह भारत की सबसे खूबसूरत जगह है, जहां वर्षों पहले बनाई गई पुरानी इमारतों की विरासत है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं को भी पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के माध्यम से पर्यटन विकास की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के पर्यटन विकास में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

परिचय–

पर्यटन और विकास आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। पर्यटन विकास का अर्थ है 'पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यटन संबंधी सभी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि तथा उनकी व्यवस्थाओं में सुधार'। पर्यटन–सुविधाओं की उपलब्धता तथा संचालन के लिए यह आवश्यक है कि इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं के मध्य पूरी तरह से तालमेल बना रहे। पर्यटन विकास के लिए होटल, रेस्तरा, मनोरंजन, परिवहन, बाजारों का विकास, नए पर्यटन–स्थलों की खोज के साथ ही पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध पेयजल, सूचना, बिजली, आवास, मनोरंजन, भोजन, आदि सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। इसके अलावा इन सब सुविधाओं के लिए जिम्मेदार संस्थाओं, चाहे वे सरकारी हों या निजी इनमें तालमेल होना आवश्यक है।

विश्व–पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन आज विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें यात्रा एवं पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था का विश्व जी.डी.पी. में क्रमशः 4.2 तथा 10.7 प्रतिशत का अंशदान है। यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था से कुल रोजगार का प्रत्येक 12.2 नौकरियों में से एक होता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सीधे तौर पर लाभ होता है। किसी क्षेत्र के संतुलित एवं सही आर्थिक विकास के लिए जो साधारण उद्देश्य होते हैं, पर्यटन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। यह एक व्यापारिक क्रिया है और यह निर्धूम उद्योग के रूप में विदेशी मुद्रा के आगमन द्वारा देश के स्तर तथा रोजगार के नए अवसरों को बढाता है। पर्यटन वह माध्यम है जो बिना किसी वस्तु के निर्यात के करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है।

राजस्थान अपनी वीरता, चित्रकला, स्थापत्यकला, वेशभूषा, लोकपर्व, पशुमेले, हीरे जवाहरात उद्योग, छपाई व बंधेज जैसी विशेषताओं के कारण पर्यटन क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। यहाँ मूर्तिकला, काष्ठकला, शिल्पकला, पत्थरों की खुदाई (किराई) का बेजोड़ खजाना है वहीं यहाँ के स्वर्णमयी बालू के टीले, लहलहाते हरे–भरे खेत, गुनगुनाते कृषक वर्ग का पहनावा भी पर्यटकों को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ के प्राचीन शिलालेख स्मारक स्तंभ मंदिर एवं भवन इसके गौरवपूर्ण एवं समृद्ध अतीत के परिचायक हैं। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक 'ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया' में राजस्थान को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अत्यधिक रसमय तथा मुग्ध करने वाला प्रदेश माना है। राजस्थान में पर्यटन के प्रकारों में डेजर्ट टूरिज्म, हैरिटेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एमआईसीई टूरिज्म (मीटिंग इन्सेन्टिव कॉन्फ्रेन्सेज और एक्जिबिशन्स), एडवेंचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, माउंट टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म इत्यादि हैं।

राजस्थान में पर्यटन का महत्व–

पर्यटन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है–जैसे ग्रामीण मेले व उत्सवों को प्रोत्साहन, ग्रामीण युवाओं को गाइड व टूर एजेण्ट के क्षेत्र में रोजगार, ग्रामीण डेयरी उत्पाद से सम्बन्धित व्यापार को बढावा, ग्रामीण कलाकारों व कलाओं को कला पदर्शन के लिए मंच, गांव का आधारभूत विकास, सांस्कृतिक सम्पत्तियों का पुनर्विलोकन, गांव के बुजुर्ग और कहानीकारों को अवसर, ग्रामीण मुर्गीपालन व जानवर पालन को प्रोत्साहन इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं।

पर्यटन का शहरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जैसे–विभिन्न कलाओं व कलाकारों को प्रोत्साहन, मनोरंजन सुविधाओं का विकास, सांस्कृतिक सम्पत्तियों का संरक्षण, शहर या पर्यटक स्थल की राष्ट्रीय वैश्विक पहचान का अवसर, शहरी आधारभूत संरचना का विकास, शहरी युवाओं को रोजगार के अवसर और होटल व रेस्टोरेंट को प्रोत्साहन इत्यादि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखा बचाव के रास्ते खोल दिए हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्यटन ने अनेक आर्थिक गतिविधियाँ उत्पादित की हैं। पर्यटन से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में परम्परागत कला व हस्तकला का पुनरुद्धार, डेयरी व पशुपालन का विपणन, पेयजल के परम्परागत स्रोतों का पुरुद्धार, युवाओं को रोजगार, रेगिस्तान में आधारभूत संरचना का विकास, नहर प्रणाली के साथ तालमेल, ग्रामीण कलाओं, कलाकारों व कारीगरों के लिए बाजार के अवसर, परम्परागत भवन निर्माण कला का पुनरुद्धार इत्यादि प्रभाव पड़ता है।

पर्यटन व स्थानीय निकाय–

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 व समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन तीनों सूचियों में कहीं भी 'पर्यटन' शब्द का उल्लेख नहीं है। सातवीं अनुसूची की संघ सूची की 20वीं प्रविष्टि में 'भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं' एवं राज्य सूची की सातवीं प्रविष्टि में 'भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं' का उल्लेख किया गया है।[1]

नगरपालिका अधिनियम 2009 में भी स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों के विवरण में भी पर्यटन शब्द का उल्लेख नहीं है। सिर्फ नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 में ''तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर कर'' का उल्लेख किया गया है और धारा 156 में 'पर्यटक कॉम्प्लैक्स' का उल्लेख किया गया है।[2] संविधान की बारहवीं अनुसूची के 18 विषयों में भी 'पर्यटन' शब्द नहीं है।[3] इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि नगरीय संस्थाओं का दायित्व पर्यटन विकास नहीं है। 12वीं अनुसूची के 18 विषयों का सही विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि सूची का शायद ही कोई बिन्दु हो जो पर्यटन विकास से संबन्धित नहीं है। किसी भी स्थान या शहर का समग्र, आधारभूत व अत्याधुनिक विकास से सर्वप्रथम लाभ स्थानीय नागरिकों को ही होगा परन्तु जब यही विकास किसी पर्यटक स्थल को सुन्दर, साफ व स्वच्छ, आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से पर्यटक भी उस स्थान पर घूमने के लिए आकर्षित होंगे। पर्यटन विकास से अभिप्राय किसी विशेष तकनीकी विकास से न होकर सामान्य विकास का ही विशेषीकृत रूप है जो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है।

पर्यटन विकास के आवश्यक घटक विकसित आधारभूत संरचना, सड़क, परिवहन, सुविधाएं, संचार साधनों का विकास, सौन्दर्यकरण, शुद्ध पर्यावरण, विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल, पार्किंग व्यवस्था, आवासीय सुविधा, मनोरंजन के साधन, स्वास्थ्य साफ–सफाई, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, नगर नियोजन, संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा प्रबन्धन, आधुनिक नागरिक सुविधाएं इत्यादि पर्यटकों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित हैं और ये सभी कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 विषयों का ही विस्तार हैं। भारत पर्यटन नीति के सात सूत्र–स्वागत, सूचना, सुविधा, सहयोग, संरचना व सफाई स्थानीय संस्थाओं से प्रत्यक्षः संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि स्थानीय संस्थाओं को पर्यटन विकास के दायित्व से पृथक करना संभव नहीं है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

विश्व के अनेक देशों ने स्थानीय संस्थाओं को मुख्य भूमिका देते हुए पर्यटन नीति में स्थानीय संस्थाओं के क्षमता निर्माण की दिशा में विशेष प्रयास करने शुरू कर दिए हैं जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। केरल सरकार का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है जिसने स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के क्रम में स्थानीय संस्थाओं को देश की संस्कृतियों का संरक्षक माना जाता है। ये संस्थाएं सदियों से प्रेम भाव उत्पन्न करती रही हैं तथा पृथक–पृथक स्थानों की विशेषताओं को बनाए रखने में इनका प्रमुख योगदान है।

स्थानीय संस्थाएं केन्द्र व राज्य सरकार के लिए सूचना केन्द्र की भूमिका निभाती हैं। जनसंख्या, पर्यटक आगमन, वाहनों का आगमन, भूमि, आवास, नागरिक सुविधा, स्वास्थ्य आदि की सूचना स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकारें वृहत योजनाएं, परियोजना, पर्यटन नीति, आवास नीति, उद्योग नीति, स्वास्थ्य नीति इत्यादि बनाती हैं। सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय वृद्धि दर, स्थानीय प्रगति, कृषि, सिंचाई, रोजगार, श्रम व पर्यटन इत्यादि योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है, जन सहयोग तब तक नहीं मिल सकता जब तक वहाँ स्थानीय निकाय उपस्थित न हो।

स्थानीय संस्थाएं एवं टाइम शेयर रिसोर्ट–

पारिवारिक होली–डे, लेजर होलीडे के लिए प्रयोग में लाई जा रही अवधारणा 'टाइम शेयर रिसोर्ट' पर्यटकों के बीच सबसे तेजी से मशहूर हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार टी.आर.एस. की स्थापना के लिए आवेदक/कम्पनी को स्थानीय संस्था से भूमि के प्रयोग की अनुमति, अनुमोदन व लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है, टाइम शेयर रिसोर्ट की स्थापना में स्थानीय संस्थाओं, नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।[4] इसके अलावा होटल, कन्वेन्शन सेंटर, अपार्टमेंट होटल का वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण इत्यादि के संबंध में नगरपालिका की महती भूमिका है।

कचरा प्रबन्धन व स्थानीय संस्थाएं–

बेस्ट सिविक मेनेजमेंट ऑफ डेस्टिनेशन 2009–10 नेशनल टूरिज्म अवार्ड खजुराहो नगरपालिका को प्रदान किया गया। नगरपालिका खजुराहो द्वारा कचरा निस्तारण की प्रभावी तकनीक से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को घर–घर जाकर अलग से एकत्रित किया जाता है। यहाँ सीवरेज कर्मियों को यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाती है।[5]

डॉ. भरत झुन्झुनवाला ने अपने लेख 'रिफॉर्म द मुन्सिपालिटीज' दिसम्बर 2014 में कुछ नगरों की नगरपालिकाओं द्वारा कचरा प्रबंधन से सम्बन्धित प्रयासों का उल्लेख किया है।[6] पहला, आंध्रप्रदेश के बोब्बिली नगर की नगरपालिका ने यहाँ की गृहणियों से अपने घरेलू अपशिष्ट को दो भागों में खाद्य योग्य अपशिष्ट तथा पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) योग्य अपशिष्ट में विभाजित करवाया। खाद्य योग्य अपशिष्ट जानवरों को, होटलों से निकला अपशिष्ट सूअरों को, मछली बाजार का अपशिष्ट बतखों को, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट कुत्तों को खिलाया जाता है व शेष बचे अपशिष्ट की खाद बना दी जाती है। यहाँ जानवरों के गोबर से जैविक गैस बनाई जाती है। पुनर्चक्रण (रिसाईक्लिंग) योग्य कूड़े को छाँटकर इसमें से कागज, प्लास्टिक तथा धातु को अलग करके इनके खरीददारों को बेचा जाता है। दूसरा, सूर्यपेट नाम का कस्बा व्यापारी तथा किराना स्टोर के मालिक, होटल वाले, मीट की दुकान चलाने वाले खरीद पर थैली के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगते हैं। सड़कों पर कहीं भी अपशिष्ट देखने तक को नहीं मिलता। तीसरा, तमिलनाडु के नमक्कल शहर में भी इसी मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है। शहर को साफ सुथरा करने में कचरा बीनने वाले काफी सहायक हो सकते हैं। पूना में कचरा बीनने वाले सदैव अच्छी मूल्य वाली वस्तुओं को बीनते हैं जबकि अन्य पदार्थों को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। इस योजना के तहत इन कूड़ा बीनने वालों को अपशिष्टों को अलग–अलग वर्गीकृत व एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तत्पश्चात् उन अपशिष्टों को उनसे खरीदा जाता है। उन नगरपालिकाओं को सब्सिडी देने की योजना बनानी चाहिए जो कि शून्य अपशिष्ट प्रणाली को प्राथमिकता दे रही हैं। कूड़ा बीनने वालों के सहयोग व सुरक्षा हेतु कोई कानून बनाना चाहिए।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कचरे से प्लास्टिक रोड़ का निर्माण–

सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के मुताबिक भारत में हर रोज 15 हजार टन प्लास्टिक कचरा फैंका जाता है। कचरे से प्लास्टिक की सड़क बनाने की राजगोपालन वासुदेवन (डीन एवं प्रोफेसर, केमिस्ट्री विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज, मदुरई) की विधि किफायती व सरल है।[7] इस तकनीक से चेन्नई, मुम्बई, गोवा, जमशेदपुर आदि अनेक शहरों में सड़क निर्माण हो रहा है। इस तकनीक में 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कंकड़ या बजरी में प्लास्टिक के टुकड़े मिलाकर, इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए गए डामर को मिलाया जाता है और सड़क पर फैलाया जाता है। प्लास्टिक से निर्मित रोड़ अधिक मजबूत होती है और बरसात व गर्मी से इसका कुछ नहीं बिगडता। इनमें क्रैक व गड्ढे नहीं होते, रखरखाव का खर्च कम आता है।

केरल सरकार की पर्यटन नीति–

केरल सरकार की पर्यटन नीति 2012 का विशेष जोर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के सहयोग द्वारा पर्यटन विकास किए जाने पर है।[8] जैसे–आधारभूत संरचना निर्माण, जलापूर्ति व्यवस्था, रोड़ लाइट, कचरा प्रबन्धन इत्यादि प्रशासन, पर्यटन विभाग व स्थानीय निकाय द्वारा संयुक्त रूप से करने का प्रावधान है। पर्यटन विभाग स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पर्यटक पथों को साफ एवं कचरा निस्तारण की व्यवस्था करेगा। केरल वेस्ट फ्री डेस्टिनेशन (KWFD) को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, एन.जी.ओ., स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय नवीन तकनीक से सुसज्जित होंगे। 'होप–ऑन होप ऑफ' सर्विस व कन्टिंजेन्सी रेस्पॉन्स सेल का गठन किया जाएगा। पर्यटन विकास परियोजनाएं अन्य स्थानीय विकास गतिविधियों से अन्तर्सम्बन्धित होंगी। केरल सरकार पूर्ण रूप से स्थानीय निकाय व पर्यटन को समन्वित करके पर्यटन विकास के लिए प्रयासरत है।

वर्ष 2014 में केरल सतत् पर्यटन विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना।[9] केरल राज्य ने कार्य, शक्तियों व संसाधनों का तीनों स्तरों जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित करके आधारभूत संस्था का विकास व सतत् पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया। केरल सरकार 40 प्रतिशत योजनाओं का आवंटन स्थानीय संस्थाओं को स्थानान्तरित कर रही है। पर्यटन संरक्षण व विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड़) की अवधारणा भी केरल में देखने को मिलती है। केरल का ब्रांड 'God's Own Country' है जो कि विश्व पर्यटन उद्योग में प्रसिद्ध हो चुका है।

मध्यप्रदेश सरकार की पर्यटन नीति 2012–

मध्यप्रदेश सरकार की पर्यटन नीति में सतत् पर्यटन विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना निर्माण, सरकारी विभागों में सक्रिय व समन्वित सहभागिता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्पेशल टूरिज्म जोन, ग्रामीण पर्यटन इत्यादि के साथ स्थानीय निकायों या स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की संवेदनशील सक्रिय भागीदारी से पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है।[10]

अफ्रीका में स्थानीय संस्थाएं एवं पर्यटन–

साउथ अफ्रीका में पर्यटकों का आगमन वैश्विक औसत को पार कर चुका है। स्थानीय संस्थाओं का पर्यटन क्षेत्र में अद्वितीय महत्व को समझते हुए साउथ अफ्रीका में पर्यटन अधिनियम 1993 एवं जिला म्युनिसिपल्टीज इन म्युनिसिपल स्ट्रक्चर एक्ट में पर्यटन को अनिवार्य बनाया गया है।[11] साउथ अफ्रीका लोकल गवर्नमेण्ट एसोसिएशन ने पर्यटन विकास में सराहनीय पहल की है। एसोसिएशन (SALGA) ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जहाँ स्थानीय संस्थाएं हस्तक्षेप कर सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय संस्थाएं व पर्यटन–

लोकल गवर्नमेंट्स एंगेजमेंट इन टूरिज्म रिपोर्ट एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय संस्थाओं व पर्यटन विभाग की संयुक्त भागीदारी के माध्यम से आधारभूत संरचना निर्माण व आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं को विकसित करने के महत्व को स्वीकार किया गया है।[12] साउथ ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कमीशन एवं लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन द्वारा स्थानीय सरकार की पर्यटन विकास में भूमिका का विश्लेषण करवाया गया जिसमें यह तथ्य उभरकर सामने आया कि स्थानीय संस्थाओं का पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आधारभूत संरचना निर्माण में तथा सेवाएं प्रदान करने में विशेष महत्व है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान में पर्यटन संस्थागत तंत्र–

राज्य में पर्यटन विकास को बढावा देने के लिए 1956 से पर्यटन विभाग पर्यटन से सम्बन्धित राज्य नीति व कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, पर्यटन से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं नीतियों का क्रियान्वयन व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और निजी क्षेत्रों के मध्य समन्वय करता है।

पर्यटकों को आवास, भोजन, मधुशाला तथा यातायात की सुविधाएं उचित दर पर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य पर्यटन विकास निगम (RTDC) की स्थापना की गई। अन्य संस्थाओं में राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान (रिटमेन), राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण इत्यादि स्वायत्त संस्थान स्थापित हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए पेईंगगेस्ट, हैरीटेज होटल व पर्यटक स्वागत केन्द्र नामक योजना संचालित हैं। अन्य पर्यटन विकास योजनाओं में गोल्डन पास योजना, फ्रेंड्स ऑफ राजस्थान टूरिज्म योजना, शिक्षा पर्यटन योजना, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर व जयपुर में पर्यटन पुलिस गठित करना, ऑडियो टूरिस्ट गाइड योजना एवं जयपुर को हैरीटेज सिटी का रूप देना इत्यादि शुरू की गई हैं। 2017 में राज्य में 480 पेईंग गेस्ट हाउस थे।

राजस्थान पर्यटन विकास में अन्य सहायक संस्थाओं का विवरण–

क्र. स.	संस्थान/अभिकरण	भूमिका
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सड़क, पुल, सार्वजनिक भवनों, हैलीपैड का निर्माण व मरम्मत इत्यादि कार्य
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	राज्य में परिवहन की सुविधा प्रदान करना
3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पेयजल के उत्तरदायित्व का निर्वहन
4	नगरपालिका/परिषद/निगम	ठोस कचरा प्रबन्धन, आधारभूत संरचना का विकास, सड़क, प्रकाश, स्वच्छता व सफाई व्यवस्था इत्यादि का निर्वहन
5	नगर सुधार न्यास	आधारभूत संरचना का निर्माण व रखरखाव, गन्दी बस्ती विकास, शहर का सौन्दर्यकरण, नागरिक सुविधाएं, पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़क व फुटपाथ इत्यादि कार्य
6	राजस्थान विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण निगम	बिजली उत्पादन, प्रसारण व वितरण का कार्य
7	वन एवं वन्य जीव विभाग	राज्य में संरक्षित वन व वन्य जीवों का संरक्षण
8	पुरातत्व व संग्रहालय विभाग	राज्य की पुरातत्व सम्पति का संरक्षण
9	देवस्थान विभाग	धार्मिक स्थानों की भूमि व संपति का स्वामित्व व संधारण
10	राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट (आर.यू.आई.डी.पी.	राज्य के मुख्य शहरों में आधार भूत संरचना विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन

स्रोत :– स्टडी ऑन 20 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इन राजस्थान, फाइनल रिपोर्ट, पर्यटन विकास, पर्यटन, कला व संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।

उक्त संस्थाएं राजस्थान में पर्यटन विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान सरकार की पर्यटन नीति–

राज्य की पर्यटन नीति दिनांक 27.09.2001 को जारी हुई।[13] पर्यटन नीति के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग का विकास, समृद्ध पर्यटक संसाधनों का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित करना, राज्य को समृद्ध एवं विविध हस्तकलाओं एवं शिल्पकलाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, धार्मिक व तीर्थ पर्यटन और मेले व त्योहारों के माध्यम से अन्तर्सांस्कृतिक समझ को प्रोत्साहित, पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास करना, पर्यटन को जन उद्योग बनाना, सतत् विकास को प्रोत्साहन व पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना, पर्यटक उत्पादों की विविधता को प्रोत्साहन।

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2007–

राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को अधिक सुविधाएं व पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2007 में घोषित की।[14] इसमें पर्यटकों को आवासीय सुविधा, हैरीटेज होटल, कैम्पिंग साइट, होली डे रिसोर्ट, रेस्तराँ, गोल्फ एकेडमी, योगा सेंटर, गोल्फ कोर्स, स्वास्थ्य व खेल से सम्बन्धित गतिविधियों आदि के लिए नगर सुधार न्यास, नगरपालिका/निगम/परिषद, ग्राम पंचायतों व जिला कलेक्टरों को कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में रूपान्तरण के लिए आवश्यक निर्देष व रियायत देने के प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रकार के 'लैंड–बैंक' की सूचना पर्यटन विभाग, नगरीय संस्थाएं, नगरपालिका/परिषद/निगम, नगर सुधार न्यास व जिला कलेक्टर कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। टूरिस्ट यूनिटों/पर्यटन इकाई का विस्तार या विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ''लैंड बैंक'' से तात्पर्य कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में रूपान्तरण पर्यटन विकास की इकाई की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि विनियमन या 'लैंड बैंक' का विवरण स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर सुधार न्यास व नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पर्यटन विकास में स्थानीय संस्थाओं या नगरीय निकायों की भूमिका का महत्व स्पष्ट होता है।

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को प्रोत्साहन के लिए प्रयास–

- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस संबंध में नगर सुधार न्यास व नगरपालिका सम्बंधी नियमों में संशोधन किया गया।
- विशेष पर्यटन क्षेत्रों की पहचान करना जिनकी हैरीटेज पहचान हो जैसे पुष्कर, जैसलमेर, नाथद्वारा व माउण्ट आबू स्थानीय संस्थाओं द्वारा यहाँ की विशेषताओं के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करना।
- ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रयास करना जिसमें पुरातत्व विभाग, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, नगर सुधार न्यास, नगरपालिकाओं इत्यादि को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
- पर्यटन उद्योग के लिए नगरपालिका क्षेत्र में भूमि खरीद पर 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट एवं पंचायत क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक की छूट।
- लग्जरी कर में 50 प्रतिशत रियायत नगरपालिका व 100 प्रतिशत तक पंचायत क्षेत्र में।
- पर्यटन इकाई की स्थापना के लिए ब्याज दर में सब्सिडी।
- पर्यटन इकाई यदि गांवों में स्थापित की जाए तो विशेष सब्सिडी।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान में पर्यटक आगमन की वर्षवार स्थिति–

वर्ष	पर्यटकों की संख्या			गतवर्ष की तुलना में परिवर्तन
	देशी	विदेशी	योग	
2013	30298150	1437162	31735312	5.56
2014	33076491	1525574	34602065	9.03
2015	351875753	1475311	36662884	5.96
2016	41495115	1513729	43008844	17.31
2017	45916573	1609963	47526536	10.50

स्रोत :– वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2017–18, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार

2013 से लेकर देशी–विदेशी पर्यटक आगमन में लगातार वृद्धि है लेकिन 2017 में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में 2017 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक विदेषी पर्यटक आगमन में फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इटली, बांग्लादेश, कनाड़ा, जापान व स्विट्जरलेंड से रहा। भारत में 2017 में विदेशी पर्यटन आगमन में 15.59 प्रतिशत वृद्धि, राजस्थान में 6.36 प्रतिशत व देशी पर्यटक आगमन में 10.66 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।[15]

राज्य में पर्यटन परिपथ–

राज्य में पर्यटन विकास व पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अनुरूप 9 पर्यटन परिपथ बनाए गए हैं।

1.	मरू सर्किट	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर
2.	शेखावाटी सर्किट	चूरू, सीकर, झुंझुनू
3.	मेवाड़ सर्किट	उदयपुर, राजसमन्द, हल्दीघाटी, गोगुन्दा, चावड़, कुम्भलगढ़, चित्तौडगढ़
4.	वांगड सर्किट	डूंगरपुर, बांसवाड़ा
5.	मेवात–ब्रज सर्किट	अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर
6.	ढूंढाड़ सर्किट	जयपुर, आमेर, दौसा
7.	मेरवाड़ सर्किट	अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर
8.	माउण्ट–आबू सर्किट	मउण्ट आबू, रणकपुर, जालौर
9.	मेगा–डेजर्ट सर्किट	बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, माउण्ट आबू व सांभर

स्रोत :– फाइनल रिपोर्ट ऑन पर्सपेक्टिव प्लान फॉर टूरिज्म इन राजस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आर्ट एण्ड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधान–

राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में पर्यटन विभाग के लिए 175.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधान जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन व आधारभूत संरचना विकास स्थानीय विकास, शहरी विकास, मूल–भूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित माने जा सकते हैं। इनका उल्लेख निम्नानुसार है–

क्र.स.	प्रमुख प्रावधान	रूपये (करोड़ों में)
1	पर्यटन विभाग	175.20
2	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	126.97
3	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम	497.62
4	विधायक स्थानीय निधि क्षेत्र विकास	1000
5	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत	2500
6	घरेलू लाइटिंग सिस्टम की स्थापना	17000
7	राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के उच्चीकरण व सुदृढीकरण	112.50
8	राज्य सड़क विकास निधि	1648.87
9	राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य का अंशदान	89.49
10	कला व संस्कृति	133.24
11	शहरी जल प्रदाय योजना	5393.37
12	ग्रामीण जल प्रदाय योजना	9216.81
13	आवास व नगरीय विकास के	18008.89
14	जयपुर विकास प्राधिकरण	2000
15	अन्य शहरी निकायों के लिए	5978.68
16	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम	1043.45
17	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम फेज –II	725.00
18	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	1162.50
19	समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम	250.00
20	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना	450.00
21	राजस्थान शहरी विकास निधि में अंशदान	152
22	राजस्थान वित्त आयोग के तहत शहरी निकायों को अनुदान	720
23	रेल्वे ओवर ब्रिज	300
24	शहरी जन सहभागिता योजना	100.00
25	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	459.46
26	राज्य आयोजना बोर्ड	300
27	राज्य स्तरीय नवीन योजनाओं के लिए	739.52
28	राजस्थान विनियोजन संवर्धन नीति 2003 के तहत अनुदान	700.81
29	स्थानीय निकायों को इंसेंटिव ग्रान्ट (हाउसिंग स्कीम)	0.0002

स्रोत : http://www.planning.rajasthan.gov.in

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

विभिन्न राज्यों में पर्यटन का प्रचार–प्रसार–

गुजरात सरकार द्वारा 'कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में', बिहार सरकार द्वारा 'कुछ दिन ही क्यों कुछ सप्ताह भर तो गुजारो बिहार में', मध्यप्रदेश द्वारा 'एम.पी. अजब–गजब है' इत्यादि प्रचार के प्रयास पर्यटकों को लुभाने के लिए किये जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन का प्रचार करते हैं, घरों में शौचालय बनाने के लिए विद्या बालन प्रेरित करती हैं। सभी राज्यों ने थीम आधारित पर्यटन का प्रचार किया है जैसेः 'अमेजिंग आंध्रा', 'वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स' (कर्नाटक), 'गॉड्स ऑफ कन्ट्री' (केरल), 'मेग्निफिशिएण्ट महाराष्ट्र', 'लाइम ओडिशा', 'एनचेंटिंग तमिलनाडु', 'अनएम्पलोराइड पैराडाइज' (पूर्वोत्तर राज्य), 'ब्यूटीफुल बंगाल', 'सिम्पली हेवन' (उत्तराखण्ड), 'फुल ऑफ सरप्राइजेज' (छत्तीसगढ़), 'कम टू द लैण्ड ऑफ एनलाइटनमेन्ट' (बिहार)। इस प्रकार सभी राज्यों ने अपने आकर्षक विज्ञापन तैयार किए हैं। राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले 20 वर्षो में 30 से घटकर 20 प्रतिशत रह गई है। राजस्थान पर्यटन विकास का विशेष प्रचार–प्रसार नहीं किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन का स्वॉट विश्लेषण (SWOTAnalysis)-

सबल पक्ष (Strength)–

1. राज्य में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं स्थापत्य कला से सम्बन्धित आकर्षक स्थलों की लम्बी सूची है।
2. आधारभूत पर्यटन संरचना, पर्यटक आकर्षणों की विविधता, कुछ अद्वितीय आकर्षण।
3. विदेशी पर्यटकों के लिए प्रारम्भिक प्रवेश द्वार दिल्ली से नजदीकी।
4. स्थानीय जनता की मेहमान नवाजी संस्कृति।
5. कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।
6. पर्यटन आकर्षण राज्य में अच्छी तरह फैले हुए हैं।
7. परिवहन सुविधा बेहतर।

निर्बल पक्ष (Weakness)–

1. सामाजिक आर्थिक रूप से अविकसित/विकासशील प्रदेश।
2. कठिन जलवायु परिस्थितियाँ पर्यटकों के लिए मौसमी बाधाएं।
3. पाकिस्तान के साथ लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा।
4. अधिकांश पर्यटन स्थलों पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन जिससे स्थान विशेष पर भीड़–भाड़ का होना।
5. एक जैसे पर्यटक स्थलों का अधिकता में होना जिससे पर्यटन रूचि में कमी।
6. असंगठित और खण्डित पर्यटन उद्योग एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी।
7. पर्यटन को स्थायी आय के स्रोत के रूप में अपनाने में सामुदायिक रूचि की कमी।
8. विदेशों में गरीब प्रदेश की छवि।
9. पर्यटन प्रशिक्षण व कोर्स की कमी।

संभावनाएं (Opportunities)–

1. नए पर्यटन उत्पाद एवं नव प्रवर्तन।
2. प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार रणनीति।
3. सरकारी समर्थन।
4. घरेलू पर्यटन की मांग को बढाना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

5. पर्यटकों की विश्वसनीय अनुभवों की मांग हैरीटेज पर्यटन के लिए अच्छा अवसर।
6. शहरी पर्यावरण के संरक्षण की मांग से ग्रामीण पर्यटन की संभावना प्रबल।
7. पर्यटकों का भागीदारी, बौद्धिक और उद्देश्यपूर्ण पर्यटन में रूचि।
8. स्थानीय संस्थाओं को पर्यटन विकास में विशेष भूमिका दी जा सकती है।

चुनौतियाँ (Threats)–

1. अविकसित आधारभूत संरचना।
2. प्रदेश से बाहर अन्य पर्यटक आकर्षणों में तीव्र पर्यटन उद्‌भव व विकास एवं इनकी लोकप्रियता में वृद्धि।
3. एक कटु अनुभव अन्य कई पर्यटकों को भविष्य में आने से रोकता है।
4. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी।
5. प्रचार–प्रसार व विज्ञापन की कमी।

समाधान एवं सुझाव

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, संघ सूची व राज्य सूची में पर्यटन को उल्लेखित किया जाना चाहिए।
- संविधान के 73वे एवं 74वे संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची के 29 विषयों एवम् 12वीं अनुसूची के 18 विषयों के साथ पर्यटन विकास को भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि स्थानीय संस्थाएं पर्यटन विकास से प्रत्यक्षतः जुड सकें।
- नई पर्यटन नीति बनानी चाहिए और नई पर्यटन नीति में पर्यटन विकास के लिए ग्रामीण–शहरी निकायों को जवाबदेह बनाना चाहिए।
- साउथ अफ्रीका की तरह राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में पर्यटन विकास को अनिवार्य उत्तरदायित्व बनाया जाना चाहिए।
- पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक बजट व स्थानीय निकायों व पर्यटन विकास को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि होनी चाहिए।
- राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण या राजस्थान पर्यटन विकास आयोग की स्थापना की जानी चाहिए इनमें राजनीतिक नियुक्तियाँ ना की जाकर तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिए। इससे पर्यटन विकास के सभी प्रयास एकीकृत व समन्वित होंगे।
- जिला पर्यटन विकास समिति को सक्रिय किया जाना चाहिए।
- पर्यटन विभाग, शहरी विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग इन विभागों में तालमेल होना चाहिए ताकि पर्यटन विकास योजनाओं व शहरी विकास योजनाओं के मध्य समन्वय हो सके।
- मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान पर्यटन विकास निगम, शहरी विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से समय–समय पर ''पर्यटन विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका'' पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए
- केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिशों में पर्यटन विकास को भी महत्व दिया जाना चाहिए। पर्यटन कर इत्यादि को सुपरिभाषित किया जाना चाहिए।
- राजस्थान में भी स्पेशल टूरिज्म जोन की स्थापना करनी चाहिए।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 3, March- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

निष्कर्ष–

पर्यटन विकास, स्थानीय विकास, आधारभूत और मूल ढांचे का विकास, आधुनिक सुख–सुविधाओं का विकास ये सभी विकास के ही पर्याय हैं। पर्यटन विकास इन सभी घटकों के बिना अधूरा है। प्रत्येक स्थल की अपनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं और अपनी स्थानीय समस्याएं इन स्थानीय समस्याओं या स्थानीय विकास को हम किसी भी दृष्टिकोण से स्थानीय संस्थाओं नगरपालिका/परिषदें, नगर सुधार न्यास से पृथक नहीं कर सकते है बल्कि वर्तमान में स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान त्वरित गति से होता है। 73वे व 74वे संविधान संशोधन के पश्चात् स्थापित व्यवस्था ने स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है।

सन्दर्भ–

1 भारत का संविधान, कानून प्रकाशक 2014, सातवीं अनुसूची, पृ.सं. 317
2 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम–2009, किशोर बुक डिपो जयपुर, पृ.सं. 117–125
3 भारत का संविधान, भाग 9, 11वीं अनुसूची व भाग 9क, 12 वीं अनुसूची
4 https://tourism.gov.in/sites/default/files/200-04/IndiaTourismStatics2013_2.pdf
5 https://tourism.gov.in/sites/default/files/209-10/053020111247305_0.pdf
6 डॉ. भरत झुनझुनवाला (पूर्व प्रोफेसर आई.आई.एम. बैंगलुरू) 'रिफोर्म द मुन्सिपलिटीज', पेसिफिक अपडेट, वोल्यूम 2, इस्यू 3, दिसम्बर 2014
7 राजस्थान पत्रिका जयपुर, सन्डे पर्सनलिटि, दिनांक 03.05.2015 पृ.सं. 01
8 पर्यटन नीति 2012, पर्यटन विभाग, केरल सरकार।
http://www.kerlatourism.org/tourism.policy-2012-pdf
9 जस्टिस सुखदेव सिंह कांग, गवर्नर केरला, अ पेपर ऑन ''इंटरनेशनल कॉलोक्यूम ऑन रीजनल गवर्नेन्स एण्ड सस्टेनेबल डवलपमेंट इन टूरिज्म ड्राइवन इकॉनोमीज एट कानकुन, स्टेट ऑफ क्वान्टाना मेक्सिको
http:// unpan 1. Un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan 002906 pdf
10 पर्यटन नीति, 2012 पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार
www.dif.mp.gov.in/investopportunity%5ctourismpolicymp2012mp.pdf
11 रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन टूरिज्मः लोकल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, साउथ अफ्रीका लोकल गोवर्नमेंट एसोसिएशन कान्फ्रेन्स
http://www.lga.sa.gov.au/webdata/resoures/files/local_goverment_Engagment_in_tourism_-july-2006.pdf
12 लोकल गवर्नमेंट्स एगेजमेंट इन टूरिज्म : फाइनल रिपोर्ट – 2006, साउथ ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कमीशन, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया
13 राजस्थान सरकार की पर्यटन नीति 2001, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2013–14, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, पृ.सं. 5
14 राजस्थान पर्यटन नीति इकाई 2007, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार।
http://rajasthan,gov.in/stateprotile/business opporunaties/page/ statepolicy.aspx
http://www.rsldb.nic.in/bank-yojnaye
15 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2017–18, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार